

कार्यालय नगर निगम कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक : ननिको/दक्षिण/निर्माण/2023/ 325-345

दिनांक : 8/6/2023

ई-निविदा सूचना संख्या : 13/2023-24

नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) द्वारा विभिन्न अभियान्तरीय विभागों के "A", "AA" श्रेणी एवं नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-निविदा पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम कोटा की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/nnsks, <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> से प्राप्त कर सकेंगे।

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाइट से) : 15.06.2023 से 30.06.2023 तक
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 15.06.2023 से 30.06.2023 तक
- निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि : 03.07.2023 (कार्यालय समय तक)
- निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 04.07.2023 (प्रातः 11:00 बजे)
- वित्तीय बिड खोलने की तिथि : तकनीकी बिड परीक्षण के पश्चात्

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनु.लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			0.50%	2.0%			
1	नगर निगम कोटा दक्षिण वार्ड संख्या 33 में सी.सी. रोड़ निर्माण, रोड़ साईड नाली निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	133.04	66520/-	266080/-	7500/-	1500/-	06 माह

निविदा की शर्तें:-

1. निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक/फर्मों द्वारा जमा की जाने वाली टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि के डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम एवं प्रोसेसिंग फीस (MD RISL) जयपुर के नाम देय होगी। उक्त निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी. नियत समय में जमा कराया जाना होगा। संवेदक निविदा से संबंधित निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी. इत्यादि फर्म के नाम से बनवाये।
2. कार्य के विलम्ब की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर अनुबन्ध में निहित अधिकतम दर तक शास्ती लगाई जा सकेगी।
3. संवेदक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति कार्य स्थल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड स्वयं के खर्च पर लगाना होगा।
4. संवेदक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित करेगा एवं उनके सामने गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
5. संवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्यों के दौरान यदि किसी भी राजकीय भूमि का उपयोग अपने संसाधन रखने या अन्य कार्यों में उपयोग में लेता है तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
6. न्यूनतम मजदूरी एक्ट एवं श्रम कानून की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
7. संवेदक द्वारा कार्यों में नियोजित श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पंजीयन करना तथा पी.एफ. एवं ई.एस.आई. करा कर संबंधित विभाग (ई.पी.एफ.ओ.) से अदेयता प्रमाण पत्र कार्य के अन्तिम बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार होगी।
9. संवेदक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि पी.एफ. और ई.एस.आई. विभाग के किसी प्रकार के दायित्व सृजित होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
10. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आरटीपीपी. नियम 2013 Additional Performance Security के लिये नियम 75 ए जोड़ा गया है। Work Performance Guarantee के रूप में कार्य आदेश जारी करने से पूर्व ली जावेगी तथा इसे कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारण दोष निवारण अवधि के उपरान्त कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर ही संवेदक को रिफंड की जावेगी।
11. तकनीकी बिड खोलने की तिथि पर किसी भी कारण वश अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस पर प्राप्त व खोली जावेगी।
12. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अधीन होगी।
13. संवेदक को तकनीकी बिड में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
14. वर्ष 2023 में ई.पी.एफ. विभाग में नवीन पंजीकृत फर्मों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वर्ष 2023-24 की ई.पी.एफ. विभाग से इन्स्पेक्शन/ऑडिट रिपोर्ट अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत कर दी जावेगी। वर्ष 2021-22 एवं उससे पूर्व पंजीकृत फर्मों को ई.पी.एफ.

विभाग में आवेदन कर उसकी प्रति तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ऑडिट/इन्स्पेक्शन अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत कर दी जावेगी।

- 15 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.01(24)नवि/वि/ A/2020 लूज जयपुर दिनांक 20.09.2021 अनुसार विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदको द्वारा बी.एस.आर. दर से कम डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्यादेश जारी होने से पूर्व जमा करानी होगी।
- 16 अनुबन्ध करने में असमर्थ रहने अथवा कार्य करने में असमर्थ रहने पर नियमों के अन्तर्गत आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर नगर निगम को कार्य करने का/जमा योग्य अर्नेस्ट मनी की शास्ती लगाने की कार्यवाही करने का नगर निगम को अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिराशी अभियन्ता
नगर निगम कोटा दक्षिण
दिनांक : 08/06/2023

क्रमांक :- ननिको/दक्षिण/निर्माण/2023/325-345
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

1. महापौर महोदय, महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. उपमहापौर महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. अध्यक्ष महोदय (निर्माण समिति) नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. आयुक्त, महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. अतिरिक्त आयुक्त, महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
7. उपायुक्त, महोदय (I, II) नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम कोटा दक्षिण।
10. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
11. अधिराशी अभियन्ता (खण्ड-I) नगर निगम कोटा दक्षिण।
12. सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
13. समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
14. सम्बन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण/उद्योग/विद्युत/नल अनुभाग) नगर निगम कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक से पूर्व तख्तीना तैयार करवाकर वेबसाइट पर अपलोड करावे।
15. अध्यक्ष, पुस्तकालय, नगर निगम कोटा दक्षिण को शास्ती समाचार-पत्र में संक्षिप्त स्थान पर प्रकाशन हेतु।
16. निजी सहायक (महापौर महोदय) नगर निगम कोटा दक्षिण।
17. कम्प्यूटर प्रोग्रामर (आई. टी. सेल एन.आई.सी. कमरा नं. 325) नगर निगम कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक से पूर्व टेण्डर नगर निगम कोटा दक्षिण की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
18. निजी सहायक (अधीक्षण अभियन्ता, अधिराशी अभियन्ता I/II/प्रमारी, हेल्पलाइन/स्मार्टराज प्रोजेक्ट आईटी/आई.टी. सेल, एन.आई.सी. कमरा नं. 325/ओसवाल डाटा प्रोसेसिंग, कोटा/कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन) नगर निगम कोटा दक्षिण।
19. ई-गवर्नेन्स, नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
20. नोटिस सूचना बोर्ड, निर्माण अनुभाग, नगर निगम कोटा दक्षिण।
21. सुरक्षित पत्रावली, नगर निगम कोटा दक्षिण।

अधिराशी अभियन्ता
नगर निगम कोटा दक्षिण